



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद, प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
71/19	53, 186, 183 RTA	भवर	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
गुलाब - चंद	बनाम	कजौड	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
30/7/19	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 186, 183 RTA आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ने सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 5/8/19 को पेश हो।	
5/8/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13/8/19 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	INT 30/7/19 under trial R
13/8/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थना उपस्थित। प्रतिवादी गण पता 7 की ओर से श्री उमादुल्ला खान एडवो. का वकालत नाम पेश हुआ व प्रति. 1 त 3 की भी 2 स्त भरसिंह जादेव द्वारा 2032 टेविंग पेश की है। वाद पत्रावली दिनांक 17/9/19 को पेश हो।	
17/9/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22/10/19 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
22/10/19	पत्रावली पेश हुई। वकालत प्रार्थना उपस्थित। वकील पेश नहीं हुआ। समझ - चाहत है। प्रतिवादी गण उमादा 3 की ओर से वकालत नाम पेश नहीं हुआ है। मायुटेविंग पेश की है। वाद पत्रावली दिनांक 13/11/19 को पेश हो।	

24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाए परीक्षे 342/ लनकी काफ नही की जा सकी। आपदा पत्रावली लाने लनकीपरत डिनोक 17-2-25 को पेश हो।

✍

17-2-25 न्यायालय अधिकारी के अन्ध कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 1.4.25 ... को पेश हो।

हय
रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबल (बारा)

1.4.25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाए परीक्षे 342/ लनकी काफ नही की जा सकी। आपदा पत्रावली लाने लनकीपरत डिनोक 9.4.25 को पेश हो।

✍

9.4.25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाए परीक्षे काफ नही की जा सकी। आपदा पत्रावली लाने लनकीपरत डिनोक 9.4.25 को पेश हो।

✍